न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी :– श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
टी0आई0 सं0 66/17
फैसला दिनांकः– 1-5-18.

1. रामपाल पुत्र छीतर
2. गंगादेवी पत्नि रामेदव पुत्री छीतर
3. दीनदयाल पुत्र हनुमान
4. मानादेवी पत्नि हनुमान पुत्री हनुमान
5. गलकूदेवी पत्नि हनुमान
6. कानाराम पुत्र भंवरलाल
7. भंवरलाल पुत्र काना
8. भूरीदेवी पत्नि काना पुत्री काना
9. सुजा पुत्र काना
10. जमना पत्नि भंवरलाल पुत्री काना
11. रामदयाल पुत्र काना
12. रतनीदेवी पत्नि गोपाल पुत्री काना
13. लाली पत्नि ओमप्रकाश पुत्री काना

समस्त जाति जाट नि0 तेज्या का बास तह0 फुलेरा जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. मुकेशनारायण पुत्र अम्बानारायण कायस्थ (माथुर) नि0 एस–14 जगदम्बा कॉलोनी नया खेड़ा जयपुर
2. दुर्गानारायण पुत्र अम्बानारायण कायस्थ (माथुर) नि0 एस–9 जगदम्बा कॉलोनी नया खेड़ा जयपुरं
3. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र अम्बानारायण कायस्थ (माथुर) नि0 ए–639 जगदम्बा कॉलोनी नया खेड़ा जयपुर
4. आशादेवी पुत्री अम्बानारायण पत्नि शिवस्वरूप माथुर नि0 13 गंगवाल पार्क मानसिंह हाईवे जयपुर
5. राजेशनारायण पुत्र कैलाशनारायण कायस्थ (माथुर) नि0 19/602 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर
6. रामनारायण पुत्र कैलाशनारायण कायस्थ (माथुर) नि0 12 हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 1 कुडी भगतासनी जोधपुर
7. उषादेवी पुत्री कैलाशनारायण कायस्थ पत्नि ज्ञानचन्द माथुर नि0 6 पी–546 कुडी भगतासनी जोधपुर
8. रेखादेवी पुत्री कैलाशनारायण पत्नि रमेशचन्द कायस्थ (माथुर) नि0 430 भगवती भवन सिंहपोल जोधपुर
9. सज्जनकंवर पत्नि पुत्र कैलाशनारायण कायस्थ (माथुर) नि0 19/602 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर
10. हनुमान पुत्र धन्नाराम जाति जाट नि0 तेज्या का बास तह0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0
11. कानाराम पुत्र रामदेव जाति जाट नि0 तेज्या का बास तह0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0
12. जगदीशप्रसाद पुत्र रतनलाल कुमावत जाति कुमावत नि0 ईरोलाव तह0 फुलेरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

Scanned by CamScanner

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि ग्राम तेज्या का बास व भादरपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में वर्णित आराजी खं0नं0 1677 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा वाकै ग्राम तेज्या का बास, खं0नं0 1736 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 1737 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा वाकै ग्राम भादरपुरा केता 3 कुल रकबा 7 बीघा 6 विस्वा है जिसमें प्रतिवादी के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा है जो इस वाद में विवादग्रस्त है जिसे वाद में आगे विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादीगण स्व0 छीतर व काना जो कि सगे भाई थे तथा लाला के पुत्र थे के वारिसासन है। वादी सं0 1 लगा0 6 स्व0 छीतर के वारिसान है तथा वादी सं0 7 हनुमान की पुत्री शान्तिदेवी का पति है वादी सं0 8 लगा0 15 काना के उत्तराधिकारी व वारिस है। छीतर, हनुमान, शान्तिदेवी व काना का स्वर्गवास हो चुका है। विवादग्रस्त आराजी को वादीगण के बुजुर्ग छीतर व काना अपने पिता के समय से बहैसियत काश्तकार काश्त करते आ रहे है व इनसे पूर्व में इसी हैसियत से अर्थात् काश्तकार की हैसियत से उनके पिता लाला काश्त करता था वादीगण इस प्रकार से अपने बुजुर्गो के समय अर्थात् पीढी दर पीढी से काश्त करते आ रहे है व लगान अदा करते आ रहे है। विवादग्रस्त भूमि का पर्चा खातेदारी वादीगण के बुजुर्ग छीतर, काना के नाम आना चाहिए थे क्योकिं ये ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावशील होने के पूर्व से व सेटलमेन्ट के पूर्व से बहैसियत काश्तकार काश्त करते आ रहे थे वादीगण के बुजुर्ग छीतर व काना अशिक्षित व ग्रामीण परिवेश के सीधे सीधे व्यक्ति थे इसी स्थिति का लाभ उठाते हुये प्रतिवादी के परिवारजन गोपीनाथ, नन्दकिशोर व मालीराम ने सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलकर पर्चा खातेदारी स्वंय के नाम से जारी करवा लिया जिसकी जानकारी उन्हें नहीं मिली तथा वे पूर्व की भांति विवादग्रस्त भूमि को शान्तिपूर्वक काश्त करते रहे। वादीगण के अधिकारों व उनके कब्जें में आजतक किसी के द्वारा कभी कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया वर्तमान में वादीगण विवादग्रस्त भूमि पर काबिज है तथा उनके द्वारा की गई काश्त बाजरा आदि मौके पर मौजूद है। विवादग्रस्त भूमि में काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक रूप से छीतर व काना को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है व इसी आधार वादीगण को भी वैधानिक रूप से इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हो चुके है जिनके बारे में घोषणा प्राप्त किये जाने का वादीगण को वैधानिक अधिकार प्राप्त है यह कि सेटलमेन्ट का पर्चा जारी होने के पश्चात् विवादग्रस्त भूमि में नन्दकिशोर पुत्र बालाबक्स का 2/3 हिस्सा व पृथ्वीराज का 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया है व वाद में खातेदारी अम्बानारायण व कैलाशनारायण के नाम दर्ज कर दी गयी। वादीगण शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करते आ रहे क्योंकिं वादीगण के कब्जें काश्त में आजतक प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 अथवा उनके पूर्वजों ने किसी प्रकार से कोई दखल व अवरोध उत्पन्न किया ओर न वादीगण के अधिकारों से इंकार किया अतः वादीगण ने किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता अब तक प्रतीत नहीं की। दिनांक 10.08.14 को प्रतिवादी सं0 10 ने कुछ अनजान व्यक्तियों के साथ आकर वादीगण को कब्जा छोड़ने की धमकी दी व कहा कि विवादग्रस्त जमीन मैने खरीद ली है अतः कब्जा हटा लेना वरना जबरन बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा लूंगा इसे मेरी धमकी व चेतावनी समझ लेना। वादीगण को ऐसी धमकी देकर जब प्रतिवादी सं0 10 अपने साथियों के साथ चला गया तो वादीगण ने जानकारी की तो पता चला कि प्रतिवादीगण ने आपस में साजकर पहले तो प्रतिवादी सं0 9 के नाम नामान्तकरण खुलवाया व उसके बाद दो भिन्न भिन्न पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.06.14 के द्वारा विवादग्रस्त भूमि का बेचान प्रतिवादी सं0 10 लगा0 12 के पक्ष मं कर दिया जिसका विवरण इस प्रकार है कि विक्रय पत्र दिनांक 23.06.14 जो सब रजिस्टार कार्यालय सांभर में पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 481 में पृष्ठ सं0 175 क्रम सं0 2014004912 पर पंजीबद्व किया व अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 739 के पृष्ठ सं0 267 से 276 पर चस्पा किया के जरिये आराजी खं0नं0 1736 व 1737 बिक्री कर दी गयी। विक्रय पत्र दिनांक 23.06.14 जो सब रजिस्टार कार्यालय सांभर में पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 481 में पृष्ठ सं0 154 क्रम सं0 2014004891 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक सं0 1 जिल्द सं0 739 के पृष्ठ सं0 37 से 46 पर चस्पा किया के जरिये आराजी खं0नं0 1677 बिक्री कर दी गई। उक्त दोनो विक्रय पत्र जो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 द्वारा प्रतिवादी सं0 10 लगा0 12 के पक्ष में सम्पादित किये गये है वादी के मुकाबलें बातिल व बेअसर व प्रभावहीन है वादीगण उक्त विक्रय पत्रों से पाबन्द नहीं है क्योंकि उक्त विक्रय पत्रों को वादीगण द्वारा सम्पादित नहीं किया गया है अतः वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा की बिना पर विक्रय पत्रों को अवैध व प्रभावहीन घोषित कराये जाने के अधिकारी है। यदि प्रतिवादी सं0 10 लगा0 12 अन्य प्रतिवादीगण की मदद से वादीगण को बेदखल कर दिया अथवा उनके अधिकारों में अवरोध उत्पन्न किया तो वादीगण को इस प्रकार की असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना सम्भव नहीं है इसलिए प्रार्थीगण को उक्त प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का मान्य न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश किया गया उक्त जवाब में प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यों को अस्वीकार मानते हुए अपने अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि विवादग्रस्त आराजीयात खं0नं0 1736, 1737, 2049, 2050, 2051 वाकै ग्राम भादरपुरा प0ह0 तेज्या का बास केता 5 कुल रकबा 7 बीघां 15 विस्वा का पर्चा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 के पूर्वजों के नाम कब्जें काश्त के आधार पर जारी किया गया था जिस पर पहलें प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 के पूर्वज उनके द्वारा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे थे व खं0नं0

Scanned by CamScanner

677, 17709 किता 2 रकबा 4 बीघा 3 विस्वा वाकै ग्राम तेज्या का बास सम्पूर्ण का प्रतिवादी सं0 लगा0 9 के पूर्वजों के नाम जारी किया गया था वरवक्त सेटलमेन्ट न तो वादीगण के पूर्वज भीतर या काना का कोई कब्जा था न बाद में रहा ओर न उसके बाद वादीगण का रहा जब पर्चा सेटलमेन्ट प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 के पूर्वजों के नाम जारी किया गया तो वादीगण या उनके पूर्वजों ने कभी उसे चैलेंज नहीं किया ओर पर्चा सेटलमेन्ट के करीब 60 साल बाद जब जमीनों के भाव बढ गये ओर वादीगण की नियत में फितुर आ जाने से मिथ्या तथ्यों पर वाद व प्रा0पत्र पेश किया है। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 जो रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है ओर उनके पूर्वज के स्वर्गवास बाद खातेदारी उनके नाम अंकन हो गयी तो उसे भी वादीगण ने चेलेन्ज नहीं किया ओर जब प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 ने अपने हिस्सें की आराजी में से खं0नं0 1677 वाकै तेज्या का बास व खं0नं0 1736 व 1737 वाकै भादरपुरा का बेचान कर दिया तो यह मिथ्या आधारों पर कथित आराजी अपने पूर्वजों की कब्जेशुदा का गलत तथ्य अंकित कर यह वाद व प्रा0पत्र पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण या उनके पूर्वजों का न तो कोई कब्जा काश्त रहा न वे खातेदार काश्तकार रहे, ओर कथित बेचान खं0नं0 1677 वाकै तेज्या का बास व खं0नं0 1736 व 1737 वाकै भादरपुरा का दिनांक 23.06.14 को प्रतिवादी सं0 10 लगा0 12 के हक में तैयशुदा प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 ने किया है की मौजूदगी में वादीगण कोई वाद लाने के अधिकारी नहीं है, कथित बेचान बाबत कोई ऐतराज है तो वादीगण को कथित बेचान के बाबत सक्षम न्यायालय में वाद लाना चाहिये, कथित विक्रय पत्र की मौजूदगी में वादीगण कोई घोषणा करानें के अधिकारी नहीं है प्रतिवादी सं0 10 लगा0 12 सद्भावी क्रेतागण है ओर तैयशुदा प्रतिफल अदा कर क्रय की है कथित विक्रय के आधार पर नामान्तकरण खुलवानें का प्रतिवादीगण को पूर्ण अधिकार प्राप्त है अगर मिन प्रतिवादीगण को पाबन्द किया गया तो पाबन्दी की आड़ में वे नाजायज लाभ अर्जित करने की चेष्टा करेगे जिससे मिन प्रतिवादीगण को अपूर्ति क्षति होगी। दावा वादीगण मियाद बाहर है जो सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है।

वकील प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र आर्डर 26 नियम 9 का पेश किया जिसका वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश किया गया। उक्त प्रा0पत्र पर बहस सुनी गयी। वादीगण द्वारा पेश प्रा0पत्र आर्डर 26 नियम 9 जा0दी0 का प्रा0पत्र खारिज किया गया। राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 21.01.15 निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर उभय पक्ष को सुना जाकर प्रा0पत्र 26 नियम 9 जा0दी0 की पुनः बहस सुनी गयी तथा नायब तहसीलदार फुलेरा को मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया। नायब तहसीलदार फुलेरा द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गयी शामिल पत्रावली की गयी।

वकील वादीगण ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में लिखित बहस पेश की गयी तथा उनकी ओर से मौखिक बहस भी की गयी।

वकील प्रार्थीगण ने लिखित बहस पेश कर अपनी लिखित बहस में अंकित किया कि प्रार्थीगण ने एक वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया ग्राम तेज्या का बास व भादरपुरा में वर्णित आराजी खं0नं0 1677 रकबा 3 बीघा 17 विस्वा वाकै ग्राम तेज्या का बास तह0 फुलेरा व आराजी खं0नं0 1736 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 1737 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा वाकै ग्राम भादरपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है। विवादग्रस्त आराजी को वादीगण के बुजुर्ग छीतर व काना अपने पिता के समय से बहैसियत काश्तकार काश्त करते आ रहे है व इनसे पूर्व से इसी हैसियत से अर्थात् काश्तकार की हैसियत से उनके पिता लाला काश्त करता था वादीगण इस प्रकार से अपने बुजुर्गो के समय से अर्थात् पीढ़ी दर पीढ़ी से काश्त करते आ रहे है व लगान अदा करते आ रहे है। विवादग्रस्त भूमि का पर्चा खातेदारी वादीगण के बुजुर्ग छीतर, काना के नाम आना चाहिए थे क्योकिं वे ही रा0टी0ऐ0 के प्रभावशील होने के पूर्व से व सेटलमेन्ट के पूर्व से बहैसियत काश्तकार काश्त करते आ रहे थे वादीगण के बुजुर्ग छीतर व काना अशिक्षित व ग्रामीण परिवेश के सीधे सीधे व्यक्ति थे इसी स्थिति का लाभ उठाते हुये प्रतिवादी के परिवारजन गोपीनाथ, नन्दकिशोर व मालीराम ने सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलकर पर्चा खातेदारी स्वंय के नाम से जारी करवा लिया जिसकी जानकारी उन्हें नहीं मिली तथा वे पूर्व की भांति विवादग्रस्त भूमि को शान्तिपूर्वक काश्त करते आ रहे। वादीगण के अधिकारो व उनके कब्जें में आज तक किसी के द्वारा कभी कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया वर्तमान में वादीगण विवादग्रस्त भूमि पर काबिज है तथा उनके द्वारा की गई काश्त बाजारी आदि मौके पर मौजूद है। विवादग्रस्त भूमि में काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक रूप से छीतर व काना को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है व इसी आधार पर वादीगण को भी वैधानिक रूप से इस प्रकार के अधिकार प्राप्त हो चुके है। जिनके बारे में घोषणा प्राप्त किये जाने का वादीगण को वैधानिक अधिकार प्राप्त है। सेटलमेन्ट का पर्चा जारी होने के पश्चात् विवादग्रस्त भूमि में नंदकिशोर पुत्र बालाबक्स का 2/3 हिस्सा व पृथ्वीराज का 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया व बाद में खातेदारी अम्बानारायण व कैलाशनारायण के नाम दर्ज कर दी गयी। वादीगण द्वारा जानकारी करने पर पता चला कि प्रतिवादीगण ने आपस में साजकर पहले तो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 के नाम नामान्तकरण खुलवाया व उसके बाद दो भिन्न भिन्न पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.06.14 के द्वारा विवादगस्त भूमि का बेचान प्रतिवादी सं0 10 लगा0 12 के पक्ष में कर दिया। विवादग्रस्त भूमि को वादीगण व उनके बुजुर्ग संवत् 2011 के पूर्व से अर्थात् प्रथम सैटलमेन्ट के पूर्व से बहैसियत काश्तकार काश्त करते आ रहे थे अतः वैधानिक रूप से व काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। वादीगण उक्त विक्रय पत्रों से प्रभावित नहीं है क्योकिं उक्त विक्रय पत्रों को वादीगण द्वारा सम्पादित नहीं किया गया है वादीगण

सांभरलेक

Scanned by CamScanner

अपने अधिकारों की घोषणा की बिना पर विक्रय पत्रों को अवैध व प्रभावहीन घोषित कराये जाने के अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 10 लगा0 12 ने अन्य प्रतिवादीगण की मदद से वादीगण को बेदखल कर दिया अथवा उनके अधिकारों में अवरोध उत्पन्न किया तो वादीगण को इस प्रकार की असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा अतः प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण ने अपना प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन अपने पक्ष में दर्शाते हुए प्रार्थना चाही की दौराने वाद अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के मद सं0 2 में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे उनके अधिकारों में कोई रूकावट व बाधा उत्पन्न न करें, विक्रय पत्र की गुनाह पर नामान्तकरण खुलवानें की कार्यवाही न करे, वादग्रस्त आराजी को स्थानान्तरण किये जाने की कार्यवाही न करें एंव राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखें। प्रा0पत्र के सम्बन्ध में यह भी देखा जाना आवश्यक है कि वाद पेश करने के दिन व उससे पूर्व किसका कब्जा था प्रतिवादीगन ने भी अपने जवाब में यह कथन नहीं किया है कि विक्रय पत्र दिनांक 12.03.14 से पूर्व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 अथवा उनके बुजुर्गो का कब्जा रहा हो और न ही उनके द्वारा यह कथन किया गया कि पृथ्वीराज की ओर से विवादित आराजी को उनके किसी हाली, सिरी, ग्रेट नोकर आदि ने कोई कास्त की हो। खसरा गिरदावरी संवत् 2012 से कब्जा काश्त वादीगण तथा उनके बुजुर्गो का दिखाया हुआ है जिससे भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर वादीगण व उनके बुजुर्गो का कब्जा कास्त है तहसीलदार फुलेरा के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 12.03.15 के अनुसार ही वादी के कथनानुसार 2 कुएं, पुख्ता मकान, बालाजी का मन्दिर, पानी का हौद बना होना एवंम् मकान व कुएं विधुत कनेक्शन लगा होना उल्लेखित किया है प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावें में इन तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया है और न ही उन्होंनें उक्त मकान, कुएं को अपना होना कथन किया है। वादीगण के द्वारा लगान की रसीदें, विधुत बिल जमा करवानें की रसीदें भी पेश की है जो सन् 2001 के पूर्व के है विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी हनुमान द्वारा वादीगण के विरूद्व 107/116 जा0फौ0 के अन्तर्गत प्रा0पत्र पेश किया था जिसमें जांच अधिकारी ने भी विवादग्रस्त आराजी पर भी वादीगण का कब्जा होना माना है इसी प्रकार विवादित आराजी के सम्बन्ध में धारा 145 जा0फौ0 के अन्तर्गत थानाधिकार सांभरलेक के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय शपथ पत्र पेश किया गया था जिसमें सम्पूर्ण विवादग्रस्त भूमि वादीगण का कब्जा माना है तथा धारा 145 जा0फौ0 एवं धारा 107/116 जा0फौ0 में प्रतिवादी हनुमान, कानाराम आदि के द्वारा दिये गये बयानों नें विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा होना जाहिर किया है। इसी प्रकार प्रथम सूचना सं0 114/2016 एवं प्रथम सूचना सं0 145/2015 में प्रस्तुत अन्तिम प्रतिवेदन में जांच अधिकारी ने विवादग्रस्त आराजी पर वादीगण का पुराना कब्जा माना है। इस प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति वादीगण के पक्ष में है व वादीगण का प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण की ओर से उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें तथ्य अंकित किये कि विवादग्रस्त आराजी से वादीगण या उनके बुजुर्ग छीतर व काना का कोई सरोकार नहीं रहा अपितु प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 के पूर्वजों की कब्जेशुदा कब्जें, काश्त व खातेदारी की छोड़ी हुयी है जो उनके वारिसो से मिन प्रतिवादी सं0 10 लगा0 12 ने क्रय की है। पर्चा खातेदारी प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 9 के पूर्वजो के नाम कब्जे, काश्त के आधार पर सही जारी किया गया था वादीगण या उनके बुजुर्ग छीतर, काना का न तो बरवक्त सेटलमेन्ट कब्जा था न उसके बाद कोई बहैसियत खातेदार काश्तकार कब्जा रहा। विवादग्रस्त आराजीयात अम्बानारायण व कैलाशनारायण के स्वर्गवास बाद विरासत के आधार पर नामान्तकरण सं0 226 दिनांक 20.07.13 से विरासत से प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 के नाम खुल गया और जिन्होंनें प्रतिवादी सं0 1 लगा0 12 को तय शुदा प्रतिफल में बेचान कर दस्तावेज पंजीयन करा दिया। विक्रय की गयी आराजी पर वादीगण या उनके बुजुर्ग का कोई सरोकार नहीं रहा अगर पर्चा जो प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 के पूर्वजों के नाम जारी किया गया के संबंध में कोई आपति थी तो उसी वक्त चैलेंज करना चाहिये था पर्चा सेटलमेन्ट के करीब 60 साल बाद जब रेकार्डेड खातेदार ने अपना हिस्सा/आराजी का बेचान प्रतिवादी सं0 10 लगा0 12 के हक में कर दिया उसके बाद मिथ्या आधारों पर वाद किया है। बेचान के दिन से ही प्रतिवादी सं0 10 लगा0 12 काबिज है। प्रतिवादी सं0 10 लगा0 12 सद्भावी क्रेतागण है ओर रेकार्डेड खातेदार से उनके कब्जें, काश्त व खातेदारी की आराजी क्रय की है जिसके आधार पर नामान्तकरण खातेदारी खुलाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है अगर मिन प्रतिवादीगण को पाबन्द किया गया तो पाबन्दी की आड मे वादीगण नाजायज लाभ अर्जित करने की चेप्टा करेगे जिससे मिन प्रतिवादीगण को अपूर्ति क्षति होगी। वादीगण या उनके पूर्वजों का न तो कोई कब्जा काश्त रहा न वे खातेदार काश्तकार रहे ओर कथित बेचान खं0नं0 1677 वाकै तेज्या का बास, खं0नं0 1736, 1737 वाकै भादरपुरा का दिनांक 23.06.14 को प्रतिवादी सं0 10 लगा0 12 के हक मे तयशुदा प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 9 ने किया है की मौजूदगी में वादीगण कोई वाद लाने के अधिकारी नहीं है कथित बेचान बावत कोई ऐतराज है तो वादीगण को कथित बेचान के बावत सक्षम न्यायालय में वाद लाना चाहिये कथित विक्रय पत्र की मौजूदगी में वादीगण कोई घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है इसलिए प्रार्थीगण का प्रा0पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें व अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण से विशेष हर्जा दिलवाया जावें। प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया केस साबित करने में असफल रहे है वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी सं0 1 लगा0 9 की खातेदारी में दर्ज

ण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner

थी जिसका पर्चा खातेदारी गोपीनाथ, नन्दकिशोर व मालीराम के नाम सही आया था। बेचान पत्र दिनांक 23.06.14 को जब तक प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय से निरस्त न करवा ले या उक्त भूमि के सम्बन्ध में घोषणा प्राप्त न कर ले तब तक उन्हें कोई अप्रार्थी सं0 10 लगा0 12 के अधिकारों के विरूद्ध कोई अधिकार हासिल नहीं होते है। राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थी सं0 1 लगा0 9 का नाम खातेदारी में दर्ज था उन्होंने विधिपूर्वक उक्त भूमि का स्थानान्तरण अप्रार्थी सं0 10 लगा0 12 के हक में किया है तथा कब्जा भी विधिपूर्वक स्थापित किया है अप्रार्थी सं0 5 अप्रार्थी सं0 7 लगा0 9 का मुख्तयारआम नियुक्त था जिसे भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था। प्रार्थीगण का राजस्व रिकोर्ड में कही भी नाम बहैसियत कृषक या उप कृषक नहीं रहा है खसरा गिरदावरियां की कोई कब्जें के बारे में विधिक धारणा नही बनायी जा सकती। खं0नं0 1677 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा में जो विधुत कनेक्शन फर्जी व बेईमानीपूर्वक दीनदयाल पुत्र हनुमानप्रसाद प्रार्थी सं0 2 ने विधुत विभाग से मिलकर ले रखा है वे फर्जी है उक्त कनेक्शन दीनदयाल ने खं0नं0 1687 के नाम से फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर लिया था जिसकी जानकारी अप्रार्थी सं0 1 को होने पर उसने प्रार्थी दीनदयाल व अन्य के विरूद्व एक परिवाद अन्तर्गत धारा 420, 467, 468 भा0द0स0 में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभर के यहा पेश किया जिस पर वास्तें जांच परिवाद सांभर भेजे जाने पर मु0सं0 67/15 दर्ज किया जाकर वाद जांच दीनदयाल प्रार्थी सं0 3 के विरूद्व एक चालान धारा 420, 467, 468 भा0द0स0 में दिनांक 25.08.15 को प्रस्तुत की गयी जो फौजदारी प्रकरण प्रार्थी सं0 3 के विरूद्व न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभर के यहा विचाराधीन है। प्रार्थीगण ने एक वाद गलत तथ्यों पर स्व0 पृथ्वीराज के विरूद्व पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की थी जिसकी निगरानी सं0 4798/14 प्रमोद, अशोकुमार, सुनीता द्वारा पेश करने पर दिनांक 27.08.14 को उपखण्ड अधिकारी सांभर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.08.14 निरस्त कर दिया गया था तथा निगरानीकर्ताओं को सुनवायी का अवसर प्रदान कर आदेश पारित करने के निर्देश के साथ पत्रावली रिमाण्ड की थी उक्त भूमि खरीद करते समय किसी प्रकार का कोई स्थगन नहीं था अप्रार्थी सं0 10 लगा0 12 बोनाफाईड परचेंजर है तथा रिकोर्डड खातेदारों से उक्त भूमि मूल्यवान राशि अदा कर जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र खरीद की है ।आराजी खं0नं0 1677 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा वाकै ग्राम तेज्या का बास तह0 फुलेरा के पहले खातेदार अम्बानारायण, कैलाशनारायण पि0 नन्दकिशोर जाति कायस्थ थे जिनकी मृत्यु पर नामान्तकरण सं0 897 दिनांक 05.06.14 द्वारा अम्बालाल का फौती नामन्तिकरण मुकेशनारायण, दुर्गानारायण, राजेन्द्रप्रसाद, आशादेवी पि0 अम्बालाल हि0 1/2 का व मृतक कैलाशनारायण का फौती नामान्तकरण राजेशनारायण, राजनारायण, उषादेवी, रेखादेवी पि0 कैलाशनारायण, सज्जनदकंवर पत्नि कैलाशनारायण हि0 1/2 जाति कायस्थ के नाम स्वीकार होने पर खातेदारी उपरोक्त प्रकार से दर्ज हुयी। जिन्होंने उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र अप्रार्थी सं0 10 लगा0 12 को विक्रय कर दी जिसके आधार पर नामान्तकरण सं0 908 दिनांक 05.07.14 द्वारा उक्त भूमि का नामान्तकरण अप्रार्थी सं0 10 लगा0 12 के नाम तस्दीक हुआ। वर्तमान में उक्त भूमि के अप्रार्थी सं0 10 लगा0 12 खातेदार काश्तकार है इसी प्रकार आराजी खं0नं0 1736 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खं0नं0 1737 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खं0नं0 2049 रकबा 4 बिस्वा, खं0नं0 2050 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खं0नं0 2051 रकबा 6 बिस्वा किता 5 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा वाकै ग्राम भादरपुरा तह0 फुलेरा में स्थित है जिसकी खातेदारी सम्मत् 2070 से 2073 में चम्पादेवी पत्नि अम्बानारायण, मुकेशनारायण, दुर्गानारायण, राजेन्द्रप्रसाद पि0 अम्बानारायण, आशा पुत्री अम्बानारायण हि0 1/2 व सज्जनकंवर पत्नि कैलाशनारायण, राजेशनारायण, राजनारायण पि0 कैलाशनारायण, उषा, रेखा पुत्री कैलाशनारायण हि0 1/2 जाति कायस्थ के नाम खातेदारी में दर्ज थी जिस पर चम्पादेवी की मृत्यु के बाद नामान्तकरण सं0 226 दिनांक 20.03.17 द्वारा चम्पादेवी के बजाय उसके वारिसान मुकेशनारायण, दुर्गानारायण, राजेन्द्रप्रसाद, आशा पि0 अम्बानारायण हि0 1/10 खातेदारी में दर्ज हुआ। उक्त भूमि में से खातेदारान द्वारा खं0नं0 2049, 2050, 2051 का बेचान घीसा पुत्र काना जाति गुर्जर, संजय अग्रवाल पुत्र संतोष कुमार के नाम बेचान होने पर उनके नाम नामान्तकरण खोला गया जो वर्तमान में घीसा के वारिसान है व संजय अग्रवाल द्वारा विक्रय कर देने पर नामान्तकरण सं0 247 दिनांक 22.04.14 द्वारा रविन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश ब्राहमण नि0 फुलेरा के नाम खातेदारी में दर्ज है जिसमें उक्त भूमि का भूमि रूपान्तकरण करवाकर नगरपालिका मण्डल फुलेरा के नाम दर्ज करवा रखा है। आराजी खं0नं0 1736, 1737 का बेचान पत्र खातेदारान द्वारा अप्रार्थी सं0 10 लगा0 12 के हक में किये जाने पर नामान्तकरण सं0 270 दिनांक 05.07.14 द्वारा उक्त आराजी अप्रार्थी सं0 10 लगा0 12 के नाम खातेदारी में दर्ज हुयी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र पूर्व खातेदारों द्वारा कब्जा व स्वामित्व स्थानान्तरित किया गया है तथा खरीद के दिन से अप्रार्थी सं0 10 लगा0 12 उक्त आराजी पर काबिज है वर्तमान में अप्रार्थीगण का ही कब्जा है प्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है वे नाजायज तरीकें से उक्त भूमि को हथियाना चाहते है राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थी सं0 10 लगा0 12 का वर्तमान में नाम दर्ज है तथा प्रार्थीगण का वाद बावत घोषणा का पेश है जिसमें मूल वाद में साक्ष्य के बाद ही वादीगण अपना अधिकार स्थापित कर पायेगें। विधि का सुस्थापित सिद्वात है कि रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती अगर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया तो अप्रार्थीगण न्याय से वंचित हो जायेगे तथा उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा की आड़ में प्रार्थीगण उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा कर लेगें जिससे अप्रार्थीगण सं0 10 लगा0 12 को अपूर्ति क्षति होगी, अनावश्यक मुकदमें बाजी बढ़ेगी व कानूनी पेचिदगिया उत्पन्न हो जायेगी।

6.
ण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये विक्रय पत्र क 23.06.14, जमाबन्दी सेटलमेन्ट 2015 से 2030, जमाबन्दी संवत् 2054–2057, 2050 से , 2046 से 2049, 2042 से 2045, 2062 से 2065, 2058 से 2061, 2070 से 2073, राजस्व ल अजमेर के आदेश दिनांक 21.01.15 की प्रति, खसरा गिरदावरी संवत् 2016 से 2027 खं0नं0 , खसरा गिरदावरी संवत् 2016 से 2027 खं0नं0 1736, 1737, नकल इस्तगासा धारा /116 जा0फौ0 मु0सं0 518/14, नकल इस्तगासा धारा 107/116 जा0फौ0 मु0सं0 517/14, ल इस्तगासा धारा 145 जा0फौ0, नकल बयान प्रतिवादी हनुमान जो धारा 145 जा0फौ0 में दिये नकल मौका रिपोर्ट मय नक्शा, नकल बिजली के बिल किता 5, नकल एफ0आई0आर सं0 /16 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 सांभरलेक सम्पूर्ण पत्रावली, नकल एफ0आर0 सं0 145/15 यालय ए0सी0जे0एम0 सांभरलेक, फोटो मकानात, खंसरा गिरदावरी संवत् 2012 से 2029 की है।

वकील प्रार्थीगण ने उनवानी वाद व प्रा0पत्र रामपाल वगै0 बनाम प्रमोद वगै0 में पेश नजीरों ही उक्त प्रा0पत्र की कानूनी नजीरे समझी जाकर पढ़ी जावें।

1. ए0आई0आर0 2005(एस0सी0) पेज नं0 104
2. आर0आर0डी0 1974 पेज नं0 475
3. आर0आर0डी0 1987 पेज नं0 558
4. आर0आर0डी0 1973 पेज नं0 617
5. आर0आर0डी0 1981 पेज नं0 144
6. आर0आर0डी0 1986 पेज नं0 634
7. आर0आर0डी0 1965 पेज नं0 120
8. आर0आर0डी0 1974 पेज नं0 209
9. आर0आर0डी0 1975 पेज नं0 543
10. आर0आर0टी0 2016–17 पेज नं0 167
11. आर0आर0डी0 1972 पेज नं0 250
12. आर0आर0डी0 1971 पेज नं0 32
13. आर0आर0डी0 2016 पेज नं0 513

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रा0पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात पेश किये पर्चा सेटलमेन्ट, फोटो कॉपी नकल फेसला राजस्व मण्डल राज0 अजमेर निगरानी टी0ए0 सं0 156/15 दिनांक 21.01.15, फोटो कॉपी पत्र क्रमांक 315 दिनांक 04.02.16 थाना सांभरलेक वास्तें सहायक अभियंता ज0वि0विनि0लि0 सांभरलेक, फोटो कॉपी कार्यालय प0ह0 तेज्या का बास दिनांक 05.06.15 थानाधिकारी सांभरलेक, फोटो कॉपी नकल आर्डरशीट दिनांक 15.12.15 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभरलेक, फोटो कॉपी चार्जशीट थाना सांभरलेक, फोटो कॉपी प्रा0पत्र विधुत कनेक्शन, फोटो कॉपी नकल फेसला प्रतिलिपि प्रा0पत्र राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 30.05.17, फोटो कॉपी नामान्तकरण सं0 280 तेज्या का बास दिनांक 15.03.72, फोटो कॉपी जमाबन्दी, फोटो कॉपी पर्चा सेटलमेन्ट, फोटो कॉपी बेचान पत्र दिनांक 23.06.14, फोटो कॉपी चालान थाना सांभर दिनांक 02.05.15 पेश की है।

वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रा0पत्र के समर्थन में निम्न कानूनी नजीरे पेश की है।

1. आर0आर0टी0 2013(1) पेज नं0 123
2. आर0आर0टी0 2011–12 पेज नं0 489
3. आर0आर0टी0 2011–12 पेज नं0 217
4. आर0बी0जे0 2004(11) पेज नं0 270
5. आर0आर0डी0 2011 पेज नं0 563
6. आर0बी0जे0 2005(12) पेज नं0 87
7. आर0आर0टी0 2012(2) पेज नं0 1439
8. आर0आर0टी0 2013(2) पेज नं0 1108
9. आर0बी0जे0 2004(11) पेज नं0 163
10. आर0आर0डी0 1981 पेज नं0 487
11. आर0आर0डी0 1984 पेज नं0 492
12. आर0आर0डी0 1991 पेज नं0 325
13. आर0आर0डी0 2001 पेज नं0 340
14. आर0आर0डी0 1985 पेज नं0 677
15. आर0आर0डी0 1983 पेज नं0 416
16. आर0आर0डी0 2012 पेज नं0 393
17. आर0आर0टी0 2014(1) पेज नं0 523
18. आर0आर0टी0 2011–12(सप्लीमेन्टरी) पेज नं0 192

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner

19. आर0आर0टी0 2015(1) पेज नं0 633

बहस वकील पक्षकारान की सुनी गयी। पत्रावली व पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पक्षकारान की ओर से प्ररतुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अध्ययन किया गया। वादीगण की ओर से यह वाद घोषणा खातेदारी के सम्बन्ध में पेश किया गया है तथा वादीगण विवादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा सेटलमेन्ट के पूर्व से ही होना कथन करते हुए प्रस्तुत किया है साथ ही वादीगण ने विवादग्रस्त आराजी पर अपने मकान व कुएं होना भी अंकित किया है वादीगण की ओर से प्रस्तुत खसरा गिरदावरी में वादीगण व उनके बुजुर्गो का कब्जा अंकित है एवंम् प्रतिवादी हनुमान द्वारा वादीगण के विरूद्व प्रस्तुत आवेदन पत्र 107/116 जा0फौ0 व प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 114/16 व 145/15 में जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट में वादीगण का कब्जा होना माना है एवंम् प्रतिवादी हनुमान द्वारा भी पुलिस में दिये गये बयानों में यह अंकित किया है कि वादीगण ने विवादित आराजी पर जवरन कब्जा कर रखा है धारा 145 जा0फौ0 के प्रकरण में भी वादीगण का कब्जा होना माना गया है। इसके साथ ही प्रतिवादीगण ने वादीगण के तथ्यों का खण्डन करते हुए यह दलील दी है कि विवादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी सं0 10 लगा0 12 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.09.14 को खरीद की है तथा खरीद दिनांक से ही प्रतिवादी सं0 10 लगा0 12 विवादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। पुलिस के द्वारा जो बयान धारा 161 के तहत लिये गये है उनकी कोई अहमियत नहीं है पुलिस की जांच एक समरी जांच होती है वादीगण का कब्जा खसरा गिरदावरीयों में लगातार दर्ज नहीं है प्रतिवादीगण रिकोर्डेड खातेदार है उभय पक्ष विवादग्रस्त आराजी पर अपना अपना कब्जा होना कथन कर रहे है कब्जें का बिन्दू दोनों पक्षों के द्वारा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने पर ही तैय किया जा सकता है जो वाद की कार्यवाही में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों द्वारा ही तैय किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त आराजी की यथास्थिति कायम रखने हेतु आदेश पारित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

अतः प्रा0पत्र 212 रा0टी0ऐ0 का निस्तारण इस प्रकार से किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उभय पक्ष मौके व रिकोर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखें।

अतः आज दिनांक 1-5-18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

Scanned by CamScanner